

पटना उच्च न्यायालय में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 8800/2020

=====

1. रजनीश रंजन पिता- कमल नयन गोपाल, निवासी खावा चंद्रा टोला, खावा राजपुर, पोस्ट- किरणपुर, थाना- मेदनीचौकी, जिला- लखीसराय।
2. अमीनूर रशीद खान पिता-डॉ. हारून रशीद खान निवासी खलीलपुरा रोड, वार्ड नंबर 03, एफसीआई बोरिंग के पास, थाना- फुलवारीशरीफ, जिला-पटना।
3. सुमन पिता- ब्रजनंदन प्रसाद निवासी बड़ी दरगाह, पोस्ट और थाना-लखीसराय, जिला- लखीसराय।

.....याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, हार्डिंग रोड, पटना।
4. परीक्षा नियंत्रक, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, हार्डिंग रोड, पटना।
5. डॉ. हरेंद्र प्रसाद सिंह पिता- श्री कृष्ण महतो निवासी ग्राम एवं पोस्ट- भदवर, थाना- बगेन गोला, जिला- बक्सर।
6. डॉ. रणधीर कुमार सिंह पिता- स्वर्गीय राजेश्वर प्रसाद सिंह निवासी उर्मिला पैलेस, फ्लैट नंबर 408, थाना- रूपसपुर, जिला- पटना।
7. डॉ. संत कुमार पिता- स्वर्गीय सिपाही भगत निवासी साकेतपुरी, हनुमान नगर, थाना- पत्रकार नगर, जिला- पटना।
8. डॉ. लालजी प्रसाद, पिता- स्व.अवधेश कुमार सिन्हा, निवासी बुद्धनगर, रोड नंबर 2, चिरैयाटाड़, थाना- कंकड़बाग, जिला-पटना।
9. डॉ. उदय कुमार मिश्र पिता- श्री उग्र नारायण मिश्र निवासी ग्राम- खरखुरा भटबीघा, रोड नं.5, थाना- डेलहा, जिला- गया।
10. डॉ. मो. आजम खां पिता- मो. बदरुद्दीन खां निवासी ग्राम व पोस्ट- नेउरा, थाना- बिहटा, जिला- पटना।
11. डॉ. शत्रुधन कुमार पिता- राम प्रवेश राम निवासी ग्राम-कांडी, थाना-चंदौती, जिला-गया।
12. डॉ. मो. एखलाक अहमद, पिता- मो. रज़ाक अहमद, निवासी ग्राम-चमेलीचक मोजमचक, थाना- हबीबपुर, जिला-भागलपुर।
13. डॉ. अजीत कुमार सिंह, पिता- केशव सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट- हसौआ, थाना- ननतन, जिला- सिवान।
14. रूपेश कुमार, पिता- रामाश्रय सिंह, निवासी वार्ड नं. 26, मध्य विद्यालय के पास, पन्हास, सुहिरद नगर, थाना- टाउन, जिला-बेगूसराय

..... उत्तरवादीगण/प्रतिवादीगण

=====

उपस्थिति :-

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं की ओर से :	श्री मृगांक मौली, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता श्री संकेत, अधिवक्ता श्री आलोक आनंद, अधिवक्ता श्री नवीन कुमार सिंह, अधिवक्ता
राज्य की ओर से :	श्री बिरजू प्रसाद, जी.पी. 13 श्रीमती श्वेता आनंद, अधिवक्ता श्री रवि कुमार, अधिवक्ता
आयोग की ओर से हस्तक्षेपकर्ता की ओर से प्रतिवादी 5 से 11 :	श्री निकेश कुमार, अधिवक्ता
हस्तक्षेपकर्ता की ओर से प्रतिवादी 13 और 14 :	श्री प्रशांत सिन्हा, अधिवक्ता श्री ऋषि राज रंजन, अधिवक्ता श्री कुणाल, अधिवक्ता
	श्री चक्रपाणि, अधिवक्ता श्री मधुरेश सिंह, अधिवक्ता श्री दीपक कुमार, अधिवक्ता

=====

सेवा विधि – चयन – बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने कई विज्ञापन जारी किया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भेजी गई माँग के आधार पर – याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन को आक्षेप किया और चयन प्रक्रिया को भी – अंकों के आधार पर चयन स्थान पर प्रतियोगी लिखित परीक्षा को आयोजित करने के लिए आयुष चिकित्सा अधिकारी के पदों के लिए – खंड-4 को निरस्त करने के लिए – उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया निर्धारित करना भर्ती एजेंसी का काम है – उम्मीदवारों के चयन के लिए, लिखित परीक्षा को निश्चित रूप से एक अच्छी विधि के रूप में माना जा सकता है, लेकिन कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह अनिवार्य करें कि लिखित परीक्षा उम्मीदवारों के चयन का एकमात्र तरीका है – भर्ती के विज्ञापन जारी करते समय भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया को मनमाना या भारत का संविधान के अनुच्छेद -14 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता – याचिका खारिज किया जाता है।

(पारा 30, 32, 33, 34 और 41)

2015 (2) पी.एल.जे.आर 916 ; (2019) 20 एस.सी.सी 17 – निर्भर किया गया

सिविल रिट क्षेत्राधिकार संख्या 19278/2017 ;

सिविल रिट क्षेत्राधिकार संख्या 3471/2021 ; (2020) 4 एस.सी.सी 1 ;

ए.आई.आर 1963 एस.सी 1561 ; (1987) 1 एस.सी.सी 631 – संदर्भित किया गया

(2005) 4 एस.सी.सी 154 ; (2020) 20 एस.सी.सी 680 ; एल.पी.ए न 0. 238/2024 – सुभिन्न किया गया

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

दिनांक: 08-05-2024

वर्तमान याचिका हमारे समक्ष विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 01.10.2021 के आदेश के अनुसरण में प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस मामले को एक बड़ी पीठ के समक्ष रखने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित किया है। इसलिए, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कार्यालय को इस याचिका को वर्तमान खंडपीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया।

2. याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने निम्नलिखित अनुतोष के लिए प्रार्थना की है:-

“(i) प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा विज्ञापन संख्या 04/2020 से 09/2020 के माध्यम से विज्ञापित आयुष चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए अंकों के आधार पर चयन के स्थान पर प्रतियोगी लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए।

(ii) विज्ञापन संख्या 4/2020 से 09/2020 के खंड-4 को पढ़ने/हटाने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए जो अंकों के आधार पर चयन प्रक्रिया से संबंधित है।

(iii) यदि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर हकदार पाया जाता है तो किसी अन्य राहत/राहत के लिए।”

3. वर्तमान मामले का तथ्यात्मक सार इस प्रकार है:-

3.1. याचिकाकर्ताओं ने मान्यता प्राप्त संस्थानों से होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने का दावा किया है।

3.2. बिहार तकनीकी सेवा आयोग (सुविधा के लिए आयोग के रूप में संदर्भित), स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा भेजे गए अध्याचना के आधार पर, विज्ञापन संख्या 4/2020 से 9/2020 तक एक नोटिस जारी कर आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, यूनानी चिकित्सा अधिकारी, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, आयुष चिकित्सक (आयुर्वेदिक), आयुष चिकित्सक (यूनानी), आयुष चिकित्सक (होम्योपैथी) के पदों को 9300-34800 रुपये के वेतनमान के साथ 5400/एल-9 रुपये के ग्रेड-पे के साथ भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल 3270 पद विज्ञापित किए गए हैं।

3.3. विज्ञापन के खंड-4 में चयन की प्रक्रिया बताई गई है, जिससे यह पता चलता है कि मेरिट सूची उम्मीदवारों द्वारा उनकी योग्यता परीक्षा, यानी बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस., बी.एच.एम.एस., स्नातकोत्तर (एम.डी./एम.एस. या उच्च शिक्षा) में प्राप्त अंकों और मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पतालों/संस्थानों में संविदा के आधार पर काम करते हुए उनके द्वारा अर्जित कार्य अनुभव के आधार पर तैयार की जानी है। विज्ञापन में उल्लिखित वेटेज का विवरण 3 विशेषताओं के विरुद्ध इस प्रकार है:-

(i)	बीएएमएस/बीयूएमएस/बीएचएमएस में प्राप्तांक के आधार पर वेटेज	60 अंक
(ii)	स्नातकोत्तर उपाधि, उच्च योग्यता (एमडी/एमएस आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी या उच्चतर डिग्री) के आधार पर भारांक (वेटेज)	15 अंक
(iii)	सरकारी संस्थानों/अस्पतालों में संविदा के आधार पर नियुक्ति के बाद कार्य अनुभव के लिए वेटेज (कार्य अनुभव पूरा होने के प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक)	25 अंक
	कुल	100 अंक

3.4. इसलिए याचिकाकर्ताओं ने उक्त विज्ञापन और उक्त विज्ञापन में प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा बताई गई चयन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका दायर की है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मृगांक मौली को सुना गया, जिनकी सहायता श्री राकेश कुमार शर्मा, श्री संकेत, श्री आलोक आनंद और श्री नवीन कुमार सिंह ने की, प्रतिवादी राज्य के लिए श्री बिरजू प्रसाद, जी.पी. 13 को श्रीमती श्वेता आनंद और श्री रवि कुमार ने सहायता दी, प्रतिवादी आयोग के विद्वान वकील श्री निकेश कुमार, हस्तक्षेपकर्ता प्रतिवादी संख्या 5 से 11 के विद्वान वकील श्री प्रशांत सिन्हा, जिनकी सहायता श्री ऋषि राज रंजन और श्री कुणाल ने की, प्रतिवादी संख्या 13 और 14 के विद्वान वकील श्री चक्रपाणि, जिनकी सहायता श्री मधुरेश सिंह और श्री दीपक कुमार ने की।

याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं-

5.1. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बिहार जिला आयुष चिकित्सा/राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2010 (जिसे आगे 2010 नियम कहा जाएगा) का हवाला दिया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उक्त नियम के नियम-4 से 7 का हवाला दिया है और तर्क दिया है कि 2010 नियम के नियम-7 के अनुसार राज्य आयुष चिकित्सा संवर्ग का मूल संवर्ग आयुष चिकित्सा पदाधिकारी है और उक्त नियम में खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से राज्य संवर्ग में नियुक्ति का प्रावधान है।

5.2. तत्पश्चात् विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बिहार जिला आयुष चिकित्सा/राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/संविदा के आधार पर नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2017 (जिसे आगे 2017 (संशोधन) नियमावली कहा जाएगा) का संदर्भ दिया। तर्क दिया गया कि 2017 (संशोधन) नियम के माध्यम से 2010 नियमावली के नियम-4(ई) में संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन के माध्यम से आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

5.3. इस स्तर पर यह भी प्रस्तुत किया गया है कि तत्पश्चात् बिहार जिला आयुष चिकित्सा/राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/संविदा के आधार पर नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियम, 2019 (जिसे आगे 2019 (संशोधन) नियम कहा जाएगा) तैयार किया गया है। 2019 (संशोधन) नियमावली के माध्यम से एक बार फिर संशोधन किया गया है और इस प्रकार स्नातक स्तर, उच्च शिक्षा और कार्य के बाद के अनुभव में प्राप्त अंकों के वेटेज में परिवर्तन किया गया है। 2019 (संशोधन) नियमावली के माध्यम से साक्षात्कार के अंकों को हटा दिया गया था।

5.4. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 2017 (संशोधन) नियमावली या 2019 (संशोधन) नियमावली के माध्यम से 2010 के नियम-7 में कभी संशोधन नहीं किया गया है और इसलिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति का प्रावधान अभी भी बना हुआ है।

5.5. यह तर्क दिया गया है कि अब प्रतिवादी आयोग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि उम्मीदवारों का चयन 2019 (संशोधन) नियमावली के आधार पर किया जाएगा, जिसमें कार्य अनुभव के आधार पर विभिन्न स्तरों पर प्राप्त अंकों के वेटेज का प्रावधान है। हालाँकि, विवादित विज्ञापन में प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर चयन के संबंध में कोई संदर्भ नहीं है। इस प्रकार, निर्धारित योग्यता स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है और अनुच्छेद-14 का उल्लंघन करती है तथा 2010 के नियम-7 के विपरीत है।

5.6. यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 19278/2017 तथा 3471/2021 में दिए गए पिछले दो निर्णय प्रति इनक्यूरियम हैं। इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित उक्त निर्णयों में नियम-7/2010 के नियमों पर विचार नहीं किया गया है। इस प्रकार, जब उक्त निर्णय वैधानिक प्रावधान की अनदेखी में पारित किए जाते हैं, तो उक्त निर्णयों को *प्रति इनक्यूरियम* कहा जा सकता है।

5.7. यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान याचिका की सुनवाई के दौरान, अब प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया है कि नियम- 7 को पहले ही दिनांक

15.06.2021 की अधिसूचना के माध्यम से हटा दिया गया है। हालाँकि, 2010 के नियमों में किया गया उक्त संशोधन नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, यानी विज्ञापन जारी होने के बाद किया गया है और इसलिए, यह वर्तमान चयन प्रक्रिया को विनियमित नहीं करेगा और इसका भावी अनुप्रयोग होगा।

5.8. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:– (2020) 4 एससीसी-1 (डॉ. शाह फैसल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य), (2005) 4 एससीसी-154 (सचिव, ए.पी. लोक सेवा आयोग बनाम बी. स्वप्ना और अन्य), (2020) 20 एससीसी 680 (असम लोक सेवा आयोग और अन्य बनाम प्रांजल कुमार सरमा और अन्य) और इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा एल.पी.ए. में पारित दिनांक 29.04.2024 का आदेश संख्या 238/2024 (बिहार राज्य के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बनाम अर्चना कुमारी एवं अन्य) तथा संबद्ध मामले।

5.9. अतः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि वर्तमान याचिका को स्वीकार किया जाए तथा इस प्रकार विवादित विज्ञापन को रद्द किया जाए तथा प्रतिवादी अधिकारियों को उक्त पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया जाए तथा उसके बाद नियुक्तियों की जाएं।

प्रतिवादी राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ –1 और 2

6. प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से दायर द्वितीय अनुपूरक जवाबी हलफनामे में किए गए कथनों का संदर्भ दिया है और उसके बाद प्रस्तुत किया है कि 2017 (संशोधन) नियमों के माध्यम से 2010 के नियमों के नियम-4(ई) में संशोधन को इस न्यायालय के समक्ष सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 19278/2017 में चुनौती दी गई थी। प्रस्तुत किया गया है कि खंडपीठ ने दिनांक 16.07.2018 के आदेश के तहत उक्त रिट आवेदन को खारिज कर दिया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश का संदर्भ दिया है।

6.1. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि 2017 के संशोधन नियमों और 2019 के संशोधन नियमों द्वारा 2010 के नियमों के नियम-4 में किए गए संशोधन को संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई थी। उक्त याचिका में, वर्तमान याचिका में आरोपित विज्ञापन को भी चुनौती दी गई थी। संबंधित याचिकाकर्ताओं ने सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 3471/2021 दायर की।

6.2. यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 31.05.2021 के आदेश द्वारा उक्त याचिका को खारिज कर दिया। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त आदेश का संदर्भ दिया है, जिसकी प्रति संकलन के पृष्ठ-253 पर रखी गई है।

6.3. इस स्तर पर, प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से दायर द्वितीय अनुपूरक प्रति-शपथपत्र का संदर्भ दिया है। प्रस्तुत है कि उक्त हलफनामा दिनांक 28.06.2021 को दायर किया गया है। उक्त हलफनामे में विशेष रूप से यह बताया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के प्रावधान के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के महामहिम राज्यपाल ने 2010 के नियम में आवश्यक संशोधन करने की कृपा की है। उक्त संशोधन को बिहार जिला आयुष चिकित्सा/राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त (संशोधन) नियम, 2021 (जिसे आगे 2021 (संशोधन) नियम कहा जाएगा) के रूप में अधिसूचित किया गया है।

6.4. यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त संशोधन के माध्यम से अब 2010 नियमावली के नियम-7 को हटा दिया गया है। इसलिए विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि यद्यपि 2021 (संशोधन) नियम 15 जून, 2021 को जारी किया गया है, लेकिन इसे वर्तमान मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश के संज्ञान में नहीं लाया गया और इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 01.10.2021 के आदेश के तहत मामले को बड़ी पीठ को संदर्भित कर दिया है।

7. प्रस्तुत है कि वर्तमान याचिका में वर्तमान याचिकाकर्ताओं को कोई संरक्षण नहीं दिया गया है और इसलिए चयन प्रक्रिया जारी रखी गई। इसके बाद, संबंधित उम्मीदवारों ने इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही दायर की और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार, अब विवादित विज्ञापन के अनुसार प्रश्नगत पद पर नियुक्तियां की जाती हैं।

8. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि 2010 के नियम-7 में पहले ही संशोधन किया जा चुका है और प्रश्नगत पद पर चयन 2019 (संशोधन) नियम और 2021 (संशोधन) नियम के अनुसार किया जाना है। इसलिए, विवादित विज्ञापन को रद्द नहीं किया जा सकता है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है, अन्यथा यह एक निरर्थक अभ्यास होगा। इसलिए, यह आग्रह किया जाता है कि वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया जाए।

हस्तक्षेपकर्ता प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुतियाँ 5 से 11.

9. प्रतिवादी संख्या 5 से 11 के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह दलील दी कि प्रतिवादी संख्या 5 से 11 फरवरी, 2024 में आयोग द्वारा प्रकाशित परिणाम के अनुसार अपनी नियमित नियुक्ति तक बिहार राज्य में संविदा के आधार पर काम कर रहे थे। वर्तमान में वे चुनौती के तहत चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयुष चिकित्सक के रूप में काम कर रहे हैं। विद्वान अधिवक्ता ने 2010 नियम, 2017 (संशोधन) नियम और 2019 नियम का भी हवाला दिया है।

9.1. इस स्तर पर, विद्वान अधिवक्ता ने बिहार जिला चिकित्सा संवर्ग/बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियम, 2008 (जिसे आगे 2008 नियम कहा जाएगा) का हवाला दिया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि 2008 नियम में 2010 नियम के नियम-4 और नियम-7 के समान प्रावधान हैं। यह बताया गया है कि इसके बाद बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियम, 2013 अधिसूचित किए गए (जिसे आगे 2013 नियम कहा जाएगा)।

9.2. इस स्तर पर, विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियम, 2019 अधिसूचित किए गए। खंड-2 और खंड- 3 इसी प्रकार हैं:

“(क) संशोधित नियमावली के खंड-2-

2013 नियमावली के नियम-2(ग) को प्रतिस्थापित कर आयोग की परिभाषा बिहार तकनीकी सेवा आयोग की गई है।

(ख) संशोधित नियमावली के नियम-3-

2013 नियमावली के नियम-6 को संशोधित कर प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें साक्षात्कार का प्रावधान हटा दिया गया है तथा सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी।”

10. इस स्तर पर यह भी बताया गया है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली, 2018 को अधिसूचित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने उक्त नियमावली के नियम-6, 14 एवं 15 का संदर्भ दिया है। तर्क दिया गया है कि 2018 नियमावली का नियम-15 राज्य स्वास्थ्य सेवा नियमावली में संशोधन को आयुष संवर्ग पर स्वतः लागू करता है, जिसका अर्थ है कि बिहार स्वास्थ्य सेवा के लिए बनाए गए 2013 के नियम और वर्ष 2019 में किए गए संशोधन जिसमें शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन का प्रावधान किया गया था, आयुष संवर्ग नियमावली पर स्वतः लागू हो गए। इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि आयुष संवर्ग नियमावली में 2017 और 2021 में किए गए संशोधन बिहार स्वास्थ्य सेवा के लिए बनाए गए 2013 के नियम और वर्ष 2019 में किए गए संशोधन के अनुरूप थे।

11. इसलिए विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 2010 नियमावली का नियम-7 निहित रूप से निरस्त किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने **नगर परिषद, पलाई बनाम टी.जे. जोसेफ** के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है, जिसे, **एआईआर 1963 एससी 1561** में प्रतिवेदित किया गया।

11.1. इसलिए, विद्वान वकील ने आग्रह किया है कि इस वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया जाए।

प्रतिवादी संख्या 13 और 14 की ओर से प्रस्तुतियाँ

12. प्रतिवादी संख्या 13 और 14 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 5 से 11 के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए तर्क को स्वीकार कर लिया है। यह तर्क दिया गया है कि विचाराधीन विज्ञापन 2010 के नियम-7 के विरोध में नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि 2017 (संशोधन) नियम द्वारा, जब 2010 के नियम-4(ई) में संशोधन किया गया है, तो 2010 के नियम-7 में निहित रूप से संशोधन किया गया है।

13. विद्वान अधिवक्ता ने **योगेंद्र पाल सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (1987) 1 एससीसी 631** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया जाए।

चर्चा

14. यह उल्लेख करना उचित है कि वर्तमान याचिका विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध थी। हालाँकि, बहस के दौरान, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष यह तर्क दिया गया कि **सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 3471/2021** में दिनांक 31.05.2021 को **कुमार भास्कर एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य** के मामले में निर्णय देते समय, खंडपीठ को यह गलत धारणा थी कि 2010 के नियम-7 में संशोधन/हटा दिया गया है और इसलिए, खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है। इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश का यह मत था कि प्रतिवादी राज्य द्वारा अपनाए गए रुख के अनुसार, 2010 के नियम-7 में अभी भी संशोधन नहीं किया गया है या उसे हटाया नहीं गया है तथा उक्त नियम को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने वर्तमान मामले को एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

15. 14. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार किया है। हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा संदर्भित अभिलेख पर रखी गई सामग्री तथा प्रासंगिक नियमों का भी अवलोकन किया है। हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, उन पर भी विचार किया है।

16. अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ताओं ने मान्यता प्राप्त संस्थानों से बी.एच.एम.एस. की डिग्री प्राप्त करने का दावा किया है। आयोग ने विभिन्न पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन संख्या 4 वर्ष 2020 से 9 वर्ष 2020 जारी किए। विज्ञापन के खंड-4 में चयन

की प्रक्रिया का खुलासा किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि योग्यता सूची उम्मीदवारों द्वारा उनकी योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों और मान्यता प्राप्त अस्पतालों/संस्थानों में संविदा के आधार पर काम करते हुए उनके द्वारा अर्जित कार्य अनुभव के आधार पर तैयार की जानी है, जिसके बाद तीन विशेषताओं के विरुद्ध वेटेज का विवरण दिया गया है।

17. याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि विज्ञापन में निर्धारित चयन प्रक्रिया 2010 के नियम-7 के तहत वैधानिक नुस्खे के विपरीत है।

18. इसलिए, इस स्तर पर, हम 2010 के नियमों के प्रासंगिक नियमों का उल्लेख करना चाहेंगे:-

“4. (क) अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं राजकीय औषधालय (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथिक) में कार्यरत सभी चिकित्सक जिला आयुष चिकित्सा संवर्ग में होंगे। रेफरल अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सदर अस्पताल, आयुष क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्पताल, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी फार्मसी एवं अनुसंधान इकाई, राज्य आयुष चिकित्सा सेवा के चिकित्सक। अध्याय-3 के नियम-5 के खण्ड (ख) के विशेषज्ञ उप-संवर्ग, पीएचसी एवं रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, उप अधीक्षक एवं प्रथम चिकित्सा पदाधिकारी राज्य आयुष चिकित्सा संवर्ग में होंगे।

(ख) प्रत्येक वर्ष उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञापन के आधार पर चिकित्सकों का चयन किया जाएगा, जिसके लिए विभाग द्वारा समय-समय पर अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

(ग) आयु सीमा- सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा लागू होगी।

(घ) आरक्षण- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।

(ङ) जिला आयुष चिकित्सा संवर्ग में चिकित्सकों का चयन संविदा के आधार पर किया जाएगा तथा वे कम से कम दो वर्ष तक कार्य करेंगे। उनकी संतोषजनक सेवाओं के आधार पर सेवा विस्तार किया जा सकेगा। इस संवर्ग के सभी पद संविदा के आधार पर भरे जाएंगे तथा इन पदों पर कोई स्थायी/अस्थायी नियुक्ति नहीं की जाएगी। संतोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर सेवा विस्तार किया जाएगा। इस संवर्ग के चिकित्सकों को संबंधित जिले में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकेगा।

अध्याय-3:

राज्य आयुष चिकित्सा संवर्ग

5. राज्य आयुष चिकित्सा संवर्ग में निम्नलिखित दो उप-संवर्ग होंगे:-

(क) राज्य आयुष चिकित्सा सेवा सामान्य ड्यूटी उप-संवर्ग तथा

(ख) राज्य आयुष चिकित्सा सेवा विशेषज्ञ उप-संवर्ग। इस संवर्ग के चिकित्सकों का राज्य में कहीं भी स्थानांतरण किया जा सकेगा।

6. जिला आयुष संवर्ग के लिए चिन्हित पदों को छोड़कर अन्य सभी पद राज्य आयुष चिकित्सा संवर्ग के पद माने जाएंगे।

7. राज्य स्वास्थ्य आयुष संवर्ग में आयुष चिकित्सा अधिकारी/आयुष विशेषज्ञ ग्रेड-II के पदों पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इनका चयन प्रति वर्ष उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। चयन आयोग के माध्यम से किया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।

15. राज्य चिकित्सा संवर्ग की सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए बनाए गए नियमों में जो भी संशोधन किए जाएंगे, वे आयुष क्षेत्र में स्वतः लागू माने जाएंगे।

19. इस स्तर पर, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 2010 के नियमों को 2017 (संशोधन) नियमों के माध्यम से संशोधित किया गया था। 2017 (संशोधन) नियमों के प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

(i)	बी.ए.एम.एस./बी.यू.एम.एस./बी.एच.एम.एस. में प्राप्त अंकों के लिए	-	50 अंक
(ii)	स्नातकोत्तर उपाधि/उच्च उपाधि के लिए (एम.डी./एम.एससी. (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी) के लिए 5 अंक तथा उच्च उपाधि के लिए 05 अंक कुल 10 अंक	-	10 अंक
(iii)	बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों/औषधालयों में संविदा के आधार पर नियुक्ति के पश्चात प्राप्त कार्य अनुभव के लिए (अधिकतम पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक)	-	25 अंक
(iv)	साक्षात्कार	-	15 अंक
कुल			100 अंक

19.1. इस प्रकार, उपर्युक्त से यह पता चलता है कि 2010 नियमावली के नियम-4(ई) में संशोधन किया गया है तथा चयन प्रक्रिया को विशिष्ट रूप से शुरू किया गया है।

20. इस स्तर पर यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसके बाद 2019 (संशोधन) नियमावली जारी की गई है, जिसके तहत 2010 नियमावली के साथ-साथ 2017 नियमावली के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया है। उक्त नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग निम्नलिखित तरीके से मेधा सूची तैयार करेगा:-

(i)	एमबीबीएस में प्राप्त अंक	-	कुल 60 अंक
(ii)	स्नातकोत्तर या उच्च डिग्री	-	कुल 15 अंक
(iii)	सरकारी अस्पतालों में नियमित / संविदा आधार पर नियुक्ति के बाद कार्य अनुभव	-	कुल 25 अंक"

बशर्ते कि प्रत्येक पूर्ण एक वर्ष के कार्य अनुभव के लिए 05 अंक दिए जाएंगे और इस प्रकार अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे।

21. अब, आयोग द्वारा आरोपित विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें आयोग ने 2019 के नियमों के तहत प्रदान की गई चयन प्रक्रिया का पालन किया है।

22. अब, याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि यद्यपि नियम-4(ई) को 2017 के नियमों के साथ-साथ 2019 के नियमों के माध्यम से संशोधित किया गया था, 2010 के नियमों के नियम-7 में संशोधन नहीं किया गया है। उक्त नियम निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान करता है। हालाँकि, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि उक्त नियमों में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है।

23. इस स्तर पर, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि नियम-4(ई) में 2017 (संशोधन) नियमों के माध्यम से किए गए संशोधन को संबंधित याचिकाकर्ताओं ने **हिमांशु शेखर और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 19278/2017** के तहत इस न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 16.07.2018 के आदेश द्वारा उक्त याचिका को खारिज कर दिया। उक्त आदेश की प्रति संकलन के पृष्ठ-249 पर अभिलेख पर रखी गई है।

24. इस स्तर पर यह भी देखना प्रासंगिक है कि 2019 के नियम-4 के साथ-साथ यहां आरोपित विज्ञापन को संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा **कुमार भास्कर एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 3471/2021** में चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय की खंडपीठ ने संबंधित नियमों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विचार करने के बाद उक्त याचिका को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने पैरा-6 से 9 में निम्नानुसार अवलोकन किया है:-

"6. यह संशोधन याचिकाकर्ताओं द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह याचिकाकर्ताओं को विचार के दायरे से बाहर कर देता है और साथ ही यह प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आमंत्रित करने के मूल पाठ के साथ समझौता करता है।

7. दोनों मामलों में, हम याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों और कानून के आधार पर गलत पाते हैं। संशोधित नियम किसी भी तरह से याचिकाकर्ताओं

को विचार से बाहर नहीं करता है। यह केवल योग्यता के आधार पर चयन के लिए मानदंड निर्धारित करता है, जो पूरी तरह से विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।

8. विधायिका ने अपने विवेक से केवल शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही नहीं बल्कि अनुभव के आधार पर भी आवेदन आमंत्रित करना और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का चयन करना ही विवेकपूर्ण समझा है। विधायिका के विवेक के अनुसार, चयन का पैटर्न अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त है। यह न्यायालय विधानमंडल की बुद्धिमता पर तब तक नियंत्रण नहीं रख सकता, जब तक कि ऐसे कानून को भारत के संविधान का उल्लंघन करने वाला न माना जाए।

9. यह देखा गया है कि पहले चयन की निर्धारित प्रक्रिया हर साल आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होती थी। संशोधित प्रावधान के अनुसार, शायद किसी भी देरी को रोकने के लिए, शैक्षिक योग्यता और अनुभव के आधार पर अंक देने में एक समान मानदंड अपनाकर मानदंड बदल दिए गए। हमें ऐसी प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन करने वाली नहीं लगती।

25. अब, याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि यद्यपि 2010 के नियम-7 को हटाया/संशोधित नहीं किया गया था, खंडपीठ ने देखा है कि उक्त नियम को हटा दिया गया है और इस प्रकार उपरोक्त निर्णय दिया गया है और इसलिए, उक्त निर्णय को अविवेकपूर्ण कहा जा सकता है। यहां तक कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी वर्तमान मामले को दिनांक 01.10.2021 के आदेश द्वारा बड़ी पीठ को संदर्भित करते हुए यह राय व्यक्त की थी कि प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ को ठीक से नहीं बताया गया था और विद्वान एकल न्यायाधीश उक्त मामले में विद्वान खंडपीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे और इसलिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान मामले को इस पीठ को संदर्भित किया जाता है।

26. इस स्तर पर, हम यह देखना चाहेंगे कि 2010 के नियम-15 में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि राज्य चिकित्सा संवर्ग की सेवा शर्त निर्धारित करने के उद्देश्य से बनाए गए नियमों में जो भी संशोधन किए जाएंगे, वे आयुष क्षेत्र में स्वतः लागू माने जाएंगे।

26.1. अतः अब हम स्वास्थ्य सेवा संवर्ग नियम-2008 के नियमों का संदर्भ देना चाहेंगे, जिसमें 2010 के नियम-4 और 7 के समान प्रावधान हैं। 2008 के नियमों को 2013 के नियमों के माध्यम से संशोधित किया गया था। उक्त नियमों की प्रतिलिपि संकलन के पृष्ठ 175 पर रखी गई है। 2013 के नियम-3, 4 और 6 में निम्नानुसार प्रावधान हैं:-

27. तत्पश्चात्, उक्त बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग नियमावली 2013 में वर्ष 2019 में संशोधन किया गया। उक्त नियमावली की प्रति संकलन के पृष्ठ-180 पर अभिलेख पर रखी गई है। उक्त नियमावली को बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2019 कहा जाता है। उक्त नियमावली के खण्ड-3 में प्रावधान है कि नियम-6, 2013 के स्थान पर निम्नलिखित नियमावली प्रतिस्थापित की जाती है:-

“3. बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 के नियम-6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाता है:-

“सामान्य उप संवर्ग में नियुक्ति के लिए चिकित्सकों के चयन हेतु अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के लिए अंक दिए जाएंगे।

उपरोक्त के अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के लिए कुल 100 निर्धारित अंक होंगे। ये 100 अंक निम्नलिखित के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे:-

- | | |
|--|---------------|
| (i) एमबीबीएस में प्राप्त अंक | - कुल 60 अंक |
| (ii) स्नातकोत्तर या उच्चतर डिग्री | - कुल 15 अंक |
| (iii) नियमित/संविदा के आधार पर सरकारी अस्पतालों में नियुक्ति के पश्चात कार्य अनुभव | - कुल 25 अंक” |

बशर्ते कि प्रत्येक पूर्ण एक वर्ष के कार्य अनुभव के लिए 05 अंक दिए जाएंगे और इस प्रकार अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे।”

28. अब निजी प्रतिवादियों का तर्क है कि यद्यपि राज्य सरकार ने 2010 नियमावली के नियम-7 के प्रावधानों में कोई विशेष संशोधन नहीं किया है, तथापि उसी के खंड-15 के अनुसार राज्य चिकित्सा संवर्ग के लिए संवर्ग नियमावली में किए गए संशोधन स्वतः ही आयुष क्षेत्र पर भी लागू हो गए हैं। इस प्रकार, 2010 नियमावली के नियम-15 में निहित प्रावधानों के अनुसार आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति एवं चयन मेधा सूची के आधार पर किया जाना है तथा यह मेधा सूची स्नातक, स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों तथा बिहार के सरकारी अस्पतालों में कार्य करने के अनुभव अंकों के आधार पर तैयार की जानी है। इस प्रकार, 2010 नियमावली के नियम-15 तथा बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग नियमावली, 2013 में निहित प्रावधानों तथा वर्ष 2019 में उक्त नियमावली में किए गए संशोधन के मद्देनजर, 2010 नियमावली के नियम-7 का प्रभाव समाप्त हो गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि पूर्वोक्त तरीके से, 2010 नियमावली का नियम-7 निहित रूप से निरस्त हो गया है।

28.1. इस स्तर पर, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि बिहार सरकार ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 की धारा-14(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली, 2018 का गठन किया है। उक्त नियमावली की प्रति संकलन के पृष्ठ-200 पर रखी गई है। नियम-2(iii) में, "आयोग" शब्द को "आयोग से तात्पर्य बिहार तकनीकी सेवा आयोग" के रूप में परिभाषित किया गया है। उक्त नियम के नियम-6, 14 और 15 में निम्नानुसार प्रावधान है:

“6. अभ्यर्थी का चयन संबंधित सेवा संवर्ग नियमावली में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों तथा कार्य अनुभव के लिए निर्धारित अंकों (यदि संबंधित सेवा संवर्ग

नियमावली में पटना उच्च न्यायालय सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 8800/2020 दिनांक 08-05-2024 25/37 के अनुसार प्रावधानित है) के आधार पर अधिग्रहीत रिक्तियों के विरुद्ध किया जाएगा। शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र/मार्कशीट में अंकों के स्थान पर ग्रेड के मामले में, संबंधित नियमों/संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित फार्मूले के अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित किया जाएगा।

14. अनुलग्नक में उल्लिखित पदों के संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावली में चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान इस सीमा तक संशोधित माने जाएंगे।

15. बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014, बिहार तकनीकी सेवा आयोग नियमावली, 2015 एवं इन नियमों के प्रावधानों के अधीन, चयन के मानक एवं प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए सक्षम होगा।

29. उपर्युक्त के मद्देनजर, निजी प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि 2010 के नियम-7 को निहित रूप से खारिज कर दिया गया है।"

निष्कर्ष

30. हमारा विचार है कि प्रासंगिक नियमों में किए गए उपरोक्त प्रावधानों के मद्देनजर उक्त तर्क को स्वीकार किया जाना चाहिए। अन्यथा भी, अब यह अच्छी तरह से स्थापित है कि उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया निर्धारित करना भर्ती एजेंसी का काम है। यह केवल तभी है जब प्रक्रिया स्पष्ट रूप से अवैध पाई जाती है कि न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। उम्मीदवारों के चयन के लिए, लिखित परीक्षा निश्चित रूप से एक अच्छी विधि के रूप में माना जा सकता है, लेकिन कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह अनिवार्य करता है कि उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा ही एकमात्र तरीका है। कुमार भास्कर (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ ने डॉ. धर्मबीर कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य के मामले में मुख्य सचिव, बिहार, पटना और अन्य के माध्यम से न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को संदर्भित किया है। 2015 (2) पी.एल.जे.आर. 916 उक्त मामले में, इस न्यायालय ने पैरा संख्या 6 और 7 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

"6. मूलतः, उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया निर्धारित करना भर्ती एजेंसी का काम है। यह तभी संभव है जब प्रक्रिया स्पष्ट रूप से अवैध पाई जाए, न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करेगा। उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा को निश्चित रूप से एक अच्छा तरीका माना जा सकता है, लेकिन कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह अनिवार्य करता हो कि उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा ही एकमात्र तरीका है।

7. अनुभव के लिए अंक देना असामान्य नहीं है। जिन उम्मीदवारों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है, उन्होंने उस समय सरकारी अस्पतालों में सेवा की है, जब उनके अन्य सहकर्मी अपने-अपने काम में व्यस्त थे। राज्य निश्चित रूप से ऐसे उम्मीदवारों की सेवा को मान्यता दे सकता है, बशर्ते कि कुछ सीमाएं हों।"

31. डॉ. (मेजर) मीता सहाय बनाम के मामले में। बिहार राज्य एवं अन्य, (2019) 20 एससीसी 17 में रिपोर्ट किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा संख्या 33 से 36 में निम्नानुसार अवलोकन किया है:-

“33. इसलिए यह आग्रह करना तक हीन है कि ऐसे किसी भी अस्पताल में कार्य अनुभव बिहार सरकार के अस्पताल से भिन्न है। इसलिए, बिहार के क्षेत्र में पंचायतों या नगर पालिकाओं या केंद्र सरकार और उसके उपकरणों द्वारा स्थापित इन अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा प्राप्त अनुभव और बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों के बीच अंतर करने की अनुमति देना संवैधानिक रूप से अन्यायपूर्ण होगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार या नगर पालिकाओं/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों के बीच भेदभाव करने का कोई भी प्रयास हमारे संवैधानिक शासन व्यवस्था के मूल चरित्र पर आघात पहुंचाएगा।

34. ऐसा कहने के बाद, हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि समानता का अर्थ यह नहीं है कि कोई वर्गीकरण नहीं हो सकता है। इसके बजाय, कभी-कभी असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना आवश्यक हो सकता है, क्योंकि असमान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार एक अन्यायपूर्ण स्थिति पैदा करता है। (इंद्र साहनी बनाम भारत संघ, 1992 अनुपूरक (3) एससीसी 217, पैरा 415: 1952 एससीसी (एल एंड एस) अनुपूरक 1) हालांकि, ऐसा वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि तर्कसंगत रूप से कुछ गुणवत्ता या विशेषताओं पर आधारित होना चाहिए जो इस प्रकार बनाए गए लोगों के वर्ग के भीतर पहचाने जा सकते हैं और ऐसे वर्गीकरण से बाहर रखे गए लोगों में अनुपस्थित हैं।

35. हमारा विचार है कि नियमों के निर्माण के पीछे उद्देश्य बिहार के अस्पतालों की अनुठी चुनौतियों को पहचानना और डॉक्टरों को गैर-निजी अस्पतालों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना था। प्रतिवादियों के विद्वान वकील की दलील में कुछ सार है कि बिहार मुख्य रूप से गरीब है और इसलिए डॉक्टरों को निजी अस्पतालों के अपने समकक्षों की तुलना में ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण का अनुभव होना चाहिए। गैर-निजी अस्पताल में काम करने का अनुभव डॉक्टरों में संवेदनशीलता पैदा करता है, जिससे वे गरीब मरीजों की तकलीफ और पीड़ा को समझने में अधिक सक्षम बनते हैं। इस तरह का अनुभव निस्संदेह सरकारी अस्पतालों के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में उपयोगी होगा और उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करते समय इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, बिहार सरकार के अधीन काम करने वाले लोगों के एक छोटे वर्ग को शामिल करने के लिए "सरकारी अस्पतालों" की व्याख्या करना स्पष्ट रूप से गलत और प्रतिकूल है। इस तरह के उद्देश्य को नियमों की समझ से पराजित नहीं किया जा सकता है जैसा कि हमने व्याख्या की है।

निष्कर्ष

36. उपर्युक्त कारणों से अपील स्वीकार की जाती है। बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2013 के नियम 5 एवं 6(iii) में बिहार सरकार या उसके द्वारा संचालित किसी अस्पताल, साथ ही बिहार के क्षेत्र में किसी अन्य गैर-निजी अस्पताल (केंद्र सरकार, नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा संचालित अस्पतालों सहित) में किसी चिकित्सक द्वारा प्राप्त अनुभव को शामिल किया गया है। तदनुसार प्रतिवादियों को दो महीने के भीतर अपीलकर्ता और इसी प्रकार के अन्य अभ्यर्थियों को उचित महत्व देते हुए पुनः कार्य करने और नई मेधा सूची तैयार करने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि हम स्पष्ट करते हैं कि कार्य अनुभव के आधार पर महत्व दिए जाने से अभ्यर्थी की उपयुक्तता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

32. उपर्युक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच की जाए, तो हमारा मत है कि भर्ती एजेंसी द्वारा विवादित विज्ञापन जारी करते समय निर्धारित चयन प्रक्रिया को मनमाना या भारत के संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है।

33. अब, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि **कुमार भास्कर (उपरोक्त)** के मामले में दिया गया निर्णय प्रति इनक्यूरियम है। विद्वान वकील ने **डॉ. शाह फैजल (उपरोक्त)** के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ-28, 29 और 32 इस प्रकार हैं:-

"28. प्रति इनक्यूरियम का नियम न्यायिक मिसाल के सिद्धांत के अपवाद के रूप में विकसित किया गया है। शाब्दिक रूप से, इसका अर्थ है किसी प्रासंगिक कानून या किसी अन्य बाध्यकारी प्राधिकरण की अनदेखी में पारित किया गया निर्णय। उपरोक्त नियम को हेल्सबरी के इंग्लैंड के कानूनों में निम्नलिखित तरीके से अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है:

"1687... न्यायालय अपने स्वयं के निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है यदि वह प्रति इनक्यूरियम दिया गया हो। प्रति इनक्यूरियम तब निर्णय दिया जाता है जब न्यायालय ने अपने स्वयं के पिछले निर्णय या समन्वय क्षेत्राधिकार वाली अदालत के निर्णय की अनदेखी करते हुए कार्य किया हो जो उसके समक्ष मामले को कवर करती हो, या जब उसने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के निर्णय की अनदेखी करते हुए कार्य किया हो। पहले मामले में उसे यह तय करना होगा कि किस निर्णय का पालन करना है, और बाद वाले मामले में वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स के निर्णय से बाध्य है।"

(जोर दिया गया)

29. प्रति इनक्यूरियम दिए गए निर्णय के पूर्ववर्ती मूल्य के इस संदर्भ में, ए.आर. अंतुले बनाम आर.एस. के सात न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में वेंकटचलैया, जे. की राय नायक ने बहुत प्रासंगिकता ग्रहण की है: (एससीसी पृष्ठ 716, पैरा 183)

“183. लेकिन मुद्दा यह है कि जिस परिस्थिति में कोई निर्णय प्रति इनक्यूरियम पर पहुँचा जाता है, वह केवल उस निर्णय के पूर्ववर्ती मूल्य को नकारने का काम करता है। ऐसा निर्णय न्यायिक मिसाल के रूप में बाध्यकारी नहीं होगा। एक समन्वय पीठ इससे असहमत हो सकती है और इसका पालन करने से इनकार कर सकती है। एक बड़ी पीठ ऐसे निर्णय को रद्द कर सकती है। जब किसी पिछले निर्णय को इस तरह से रद्द किया जाता है तो ऐसा नहीं होता है – और न ही रद्द करने वाली पीठ के पास ऐसा करने का कोई अधिकार क्षेत्र है – कि पिछले निर्णय में परिचालन आदेश की अंतिमता, अंतर-पक्षीय रूप से, उलट दी जाए। इस संदर्भ में “निर्णय” शब्द का अर्थ केवल पिछले आदेश का कारण है, न कि पिछले निर्णय में परिचालन आदेश, अंतर-पक्षीय रूप से बाध्यकारी। .. क्या ऐसे निर्णय को प्रति इनक्यूरियम पर पहुँचा गया निर्णय माना जा सकता है? दरअसल, रंगनाथ मिश्रा, जे. इस मुद्दे पर यह कहते हैं: (पैरा 105)

‘जब पटना उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ द्वारा किसी छोटे पीठ के पहले के फैसले को खारिज कर दिया जाता है, तो इसका उद्देश्य विशेष मामले में फैसले के बाध्यकारी प्रभाव को प्रभावित किए बिना फैसले के पूर्ववर्ती मूल्य को खत्म करना होता है। इसलिए, अंतुले इस मामले के बड़ी पीठ के समक्ष होने का लाभ उठाने के हकदार नहीं हैं।’

(जोर दिया गया)

32. यह विचार कि बाद के निर्णय को केवल तभी घोषित किया जाएगा जब प्रासंगिक निर्णयों के अनुपात में कोई संघर्ष हो, इस न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पंजाब भूमि विकास और पुनर्ग्रहण निगम लिमिटेड बनाम श्रम न्यायालय में लिए गए निर्णय में भी लिया गया था: (एससीसी पृष्ठ 706-07, पैरा 43)

“43. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कथित रूप से प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान या उनके द्वारा कवर किए गए विषयों पर अन्य वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी में दिए गए निर्णयों के संबंध में, यह सच है कि सर्वोच्च न्यायालय को उन विषयों पर “कानून घोषित करने वाला” नहीं कहा जा सकता है यदि प्रासंगिक प्रावधान वास्तव में उसके दिमाग में मौजूद नहीं थे। लेकिन इस मामले में धारा 25-जी और 25-एच सीधे तौर पर आकर्षित नहीं हुए और भले ही उन्हें प्रमुख आधार निर्धारित करने में आकर्षित किया गया हो, उन्हें विषय या संदर्भ के अनुरूप व्याख्या किया जाना था। जब वास्तव में प्रति इनक्यूरियम निर्णय की समस्या उत्पन्न होती है, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह न्यायालय नए सिरे से कानून बना सकता है, यदि इसके पहले के दो या अधिक निर्णय एक साथ नहीं टिक सकते हैं।

(जोर दिया गया)

34. हमारा विचार है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों में याचिकाकर्ताओं को कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा। इसके अलावा, यह प्रश्न कि कुमार भास्कर (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय को प्रति इनक्यूरियम कहा जा सकता है या नहीं, बाद में हुए घटनाक्रम, यानी 15.06.2021 को 2010 के नियम-7 को हटाए जाने के मद्देनजर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

35. इस स्तर पर, यह देखना महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा दायर दूसरे पूरक जवाबी हलफनामे के माध्यम से, यह बताया गया है कि 2010 के नियम-7 को 15.06.2021 की अधिसूचना के माध्यम से हटा दिया गया है। इसकी प्रति संकलन के पृष्ठ संख्या 286 पर रिकॉर्ड में रखी गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से 28.06.2021 को दूसरा अनुपूरक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, जिसके बावजूद उपरोक्त महत्वपूर्ण पहलू विद्वान एकल न्यायाधीश के संज्ञान में नहीं लाया गया और इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 01.10.2021 के आदेश द्वारा वर्तमान मामले को बड़ी पीठ को संदर्भित किया है। उक्त रेफरल आदेश में विद्वान एकल न्यायाधीश ने विशेष रूप से देखा है कि उक्त आदेश पारित होने की तिथि तक राज्य ने केवल 2010 के नियमों के नियम-7 में संशोधन किया है और राज्य उक्त प्रावधान को संशोधित करने की प्रक्रिया में है। हालाँकि, जैसा कि ऊपर देखा गया है, वास्तव में नियम-7 को 15.06.2021 को ही हटा दिया गया था, अर्थात् दिनांक 01.10.2021 के आदेश से बहुत पहले। इस प्रकार, हमारा विचार है कि बड़ी पीठ को संदर्भित करना स्वयं दायर दूसरे पूरक जवाबी हलफनामे की अज्ञानता में है। हालांकि, तथ्य यह है कि वर्तमान याचिका में इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई थी और इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने वर्तमान याचिका में आरोपित विज्ञापन के अनुसार चयन प्रक्रिया जारी रखी। संबंधित उम्मीदवारों का चयन संबंधित नियमों और विज्ञापन के अनुसार किया गया है। जब उक्त चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दी गई, तो उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू की और यह विवाद में नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अब आरोपित विज्ञापन के अनुसार नियुक्तियां पहले ही की जा चुकी हैं। इस प्रकार, चयन प्रक्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है।

36. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने **सचिव, आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम बी. स्वप्ना एवं अन्य, (2005) 4 एससीसी 154** में प्रतिवेदित मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका-14 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

“14. उच्च न्यायालय ने यह मान कर गलती की है कि संशोधित नियम प्रभावी था। जैसा कि प्रतिवादी 1 आवेदक के विद्वान वकील ने उचित रूप से स्वीकार किया है कि यह

असंशोधित नियम था जो लागू था। एक बार चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद, निर्धारित चयन मानदंड को बदला नहीं जा सकता। इसके पीछे तर्क निष्पक्षता पर आधारित है। कोई व्यक्ति जो किसी निश्चित मानदंड जैसे अंकों के न्यूनतम प्रतिशत के कारण आवेदन नहीं करता है, यदि उसे कम कर दिया जाता है, तो वह वैध शिकायत कर सकता है कि वह आवेदन कर सकता था क्योंकि उसके पास उक्त प्रतिशत था। चयन की प्रक्रिया जारी रहने के दौरान नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित नियमों में संशोधन किए जाने पर वे इसे प्रभावित नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक कानून या वैधानिक नियम तब तक भावी होता है जब तक कि उसे स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव के लिए नहीं बनाया जाता है। जब तक कि कानून या नियमों में ऐसे शब्द न हों जो मौजूदा अधिकारों को प्रभावित करने का इरादा दिखाते हों, तब तक नियम को भावी माना जाना चाहिए। यदि नियम किसी ऐसी भाषा में व्यक्त किया गया है जो किसी भी व्याख्या के लिए काफी सक्षम है तो इसे केवल भावी के रूप में माना जाना चाहिए।"

37. इसके बाद, विद्वान अधिवक्ता ने **असम लोक सेवा आयोग (उपरोक्त)** के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-15 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

"15. चयन प्रक्रिया के दौरान नए सिरे से लाए गए नियमों की प्रयोज्यता के संबंध में कानून इस न्यायालय द्वारा क्रिस्टलीकृत किया गया है। यह माना गया है कि चयन की प्रक्रिया शुरू होने की तारीख को मौजूद मानदंड चयन को नियंत्रित करेंगे और मानदंडों में परिवर्तन चल रही प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा जब तक कि नए नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जाता है। इसी तरह एन.टी. डेविन कट्टी बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग में इस न्यायालय ने माना कि किसी अभ्यर्थी को विज्ञापन की तिथि पर विद्यमान नियमों के अनुसार चयन के लिए विचार किए जाने का सीमित अधिकार है और चयन के लंबित रहने के दौरान नियमों में संशोधन करके उसे उस सीमित अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, जब तक कि नियमों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाता।

38. इस न्यायालय की खंडपीठ ने **एल.पी.ए. संख्या 238/2024** में पारित दिनांक 29.04.2024 के आदेश में पैरा-46 और 47 में निम्नानुसार अवलोकन किया है:-

"46. इस समय **ए.ए. कैल्टन (उपरोक्त)** और उसके पैराग्राफ 5 का संदर्भ लेना उचित होगा, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है: -

"5. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम को यू.पी. अधिनियम 26, 1975 द्वारा संशोधित किया गया था, जो 18 अगस्त, 1975 को लागू हुआ था, जिसमें अल्पसंख्यक संस्थानों के मामले में अधिनियम की धारा 16-एफ (4) के तहत नियुक्ति करने के निदेशक की शक्ति को छीन लिया गया था। संशोधित अधिनियम में ऐसा नहीं किया गया।

हालाँकि, इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है कि प्रश्नगत संशोधन अधिनियम की धारा 16-एफ के तहत लंबित कार्यवाही पर लागू होगा। न ही हमें इसमें कोई ऐसा शब्द मिलता है जो आवश्यक इरादे से ऐसी लंबित कार्यवाही को प्रभावित करेगा। अधिनियम की धारा 16-एफ के तहत चयन की प्रक्रिया, पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने के चरण से शुरू होकर उस तिथि तक, जिस तिथि को निदेशक धारा 16-एफ(4) के तहत चयन करने का हकदार हो जाता है (जैसा कि तब था) एक एकीकृत प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में कुछ अधिकार बनाए जाते हैं। इसलिए, अधिनियम की धारा 16-एफ को केवल एक प्रक्रियात्मक प्रावधान के रूप में नहीं समझा जा सकता है। यह सच है कि विधायिका मान्यता प्राप्त संवैधानिक सीमाओं के अधीन पूर्वव्यापी प्रभाव वाले कानून पारित कर सकती है। लेकिन यह भी समान रूप से स्थापित है कि किसी भी वैधानिक प्रावधान को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिए ताकि किसी मौजूदा अधिकार को नुकसान पहुंचे या उससे वंचित किया जा सके, जब तक कि कानून स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा यह निर्देश न दे कि इसका ऐसा पूर्वव्यापी प्रभाव होना चाहिए। इस मामले में चयन की कार्यवाही वर्ष 1973 में शुरू हुई थी और उप निदेशक द्वारा चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को दो बार अस्वीकृत करने के बाद निदेशक ने प्रश्नगत रिक्ति के लिए आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों में से नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। अपीलकर्ता द्वारा स्वयं दायर की गई पूर्व रिट याचिका में उसके कहने पर उच्च न्यायालय ने निदेशक को उस शक्ति का प्रयोग करने का निर्देश दिया था। यद्यपि वर्तमान मामले में निदेशक ने उस शक्ति का प्रयोग 18 अगस्त, 1975 के बाद किया, जिस दिन संशोधन लागू हुआ था, यह नहीं कहा जा सकता कि उसके द्वारा किया गया चयन अवैध था, क्योंकि संशोधन कानून का कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं था। इसका 18 अगस्त, 1975 से पहले शुरू हुई कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं था। ऐसी कार्यवाही को उक्त कार्यवाही के प्रारंभ होने के समय के कानून के अनुसार जारी रखना था। इसलिए, हम अपीलकर्ता के विद्वान वकील के इस तर्क में कोई तथ्य नहीं पाते हैं कि वर्तमान मामले में उत्तर प्रदेश अधिनियम 26, 1975 द्वारा संशोधित कानून का पालन किया जाना चाहिए था।”

47. स्थिति यहाँ भी समान है और 2023 की नियमावली के प्रभावी होने के बावजूद, 2018 की नियमावली के अनुसार एएनएम के चयन के लिए शुरू की गई और जारी की गई कार्यवाही को उसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाना होगा। चयन और अंकों का तरीका 2018 की नियमावली के तहत निर्धारित होना चाहिए; जो 2023 की नियमावली से पहले शुरू किए गए तत्काल चयन के प्रतिबंधित उद्देश्य के लिए, 2023 की नियमावली में बचत खंड द्वारा वैध है, जबकि 2018 की नियमावली को उसी खंड द्वारा निरस्त कर दिया गया है।”

39. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा विचार है कि उक्त निर्णय से याचिकाकर्ताओं को कोई सहायता नहीं मिलेगी।

39.1 अब, इसमें कोई विवाद नहीं है कि 2010 के नियम-7 को, निःसंदेह, विवादित विज्ञापन जारी होने के बाद जून, 2021 में हटा दिया गया है। यदि याचिकाकर्ताओं की यह दलील स्वीकार भी कर ली जाए कि उक्त संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता, तब भी, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, एक बार जब विवादित विज्ञापन के अनुसार नियुक्तियां पहले ही 2019 के नियमों के अनुसार कर दी गई हैं और अब यदि उक्त विज्ञापन को रद्द कर दिया जाता है और यदि प्रतिवादी प्राधिकारी को प्रश्नगत पद के लिए नया विज्ञापन जारी करने का निर्देश जारी किया जाता है, तब भी प्रतिवादी वर्तमान नियमों के अनुसार विज्ञापन जारी करेगा जो आज की तिथि तक विद्यमान हैं। इस प्रकार, आज के समय में विद्यमान नियम, 2010 के नियम-7 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान नहीं करते हैं, जिसे जून, 2021 में हटा दिया गया है और इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के लिए खंड वाले विज्ञापन जारी करने की स्थिति में नहीं होंगे। स्वाभाविक रूप से, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 वर्तमान समय में विद्यमान नियमों के अनुसार विज्ञापन जारी करेंगे, जो चयन के लिए प्रक्रिया प्रदान करते हैं जो पहले से ही विवादित विज्ञापन में मौजूद है। इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विज्ञापन को अलग करना और प्रतिवादी प्राधिकारी को वर्तमान समय में विद्यमान नियमों के अनुसार नया विज्ञापन जारी करने का निर्देश देना एक निरर्थक अभ्यास होगा, जो स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर उम्मीदवारों द्वारा उनकी योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों और कार्य अनुभव के आधार पर मेरिट-सूची तैयार करने का प्रावधान करता है, न कि किसी प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर।

40. इस प्रकार, इस आधार पर भी, हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

41. तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

के.सी. झा/-

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।